

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निविदा सूचना


क्रमांक : एचसी/एसके/2015-16/217

दिनांक: 18.11.2015

राजस्थान उच्च न्यायालय, उपयोगार्थ वर्ष-2016 के 1900 हाईकोर्ट वॉल कलेण्डर, 1900 सिविल कोर्ट वॉल कलेण्डर, 5700 हाईकोर्ट टेबल कलेण्डर एवं 9000 सिविल कोर्ट टेबल कलेण्डर (नमूनानसार) की मुद्रण सहित खरीद हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित मूल्य रूपये 1,13,000/- है)

निविदा प्रपत्र दिनांक 19.11.2015 से 23.11.2015 तक कार्यालय समय में कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएँ दिनांक 24.11.2015 को प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24.11.2015 को ही दोपहर 12.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (प्रशासन),

20/11/15

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

पृष्ठ संख्या - 1

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 19.11.2015 से दिनांक 23.11.2015 तक कार्यालय समय में कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते हैं।
2. मोहरबंद निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर दिनांक 24.11.2015 को प्रातः 11.30 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 24.11.2015 को दोपहर 12.30 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदादाता को अनुमानित व्यय राशि की 2 प्रतिशत राशि कार्यालय में अमानत राशि के रूप में नगद रूप से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा तथा लिफाफे के बाएँ कोने में निविदादाता का नाम, पता व फोन नम्बर लिखे होने चाहिये।
4. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। निविदादाता को निविदा प्रपत्र व संलग्न सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा कौट-छौट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने का खर्चा (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।
5. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के उपयोगार्थ वॉल कलेण्डर, हाईकोर्ट कलेण्डर एवं सिविल कोर्ट कलेण्डर वर्ष 2016 का मुद्रण, कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये मैन्युस्क्रिप्ट के नमूनेनुसार एवं वाँछित क्वालिटी के पेपर पर होना चाहिये। वॉल कलेण्डर, हाईकोर्ट कलेण्डर एवं सिविल कोर्ट कलेण्डर- 2016 का नमूनेनुसार दोनों ओर मुद्रण करना होगा। अन्य विवरण निम्नानुसार है -

1	Rajasthan High Court Wall Calendar 2016 (As per sample) (Size - 20 inch X 30 inch)(Printing as per manuscript on 80 GSM "A" Grade Maplitho White Paper)	1900 Nos.
2	Rajasthan Civil Court Wall Calendar 2016 (As per sample) (Size - 20 inch X 15 inch)(Printing as per manuscript on 80 GSM "A" Grade Maplitho White Paper)	1900 Nos.
3	Rajasthan High Court Calendar 2016 (Size - A4), (As per sample) (Printing as per manuscript on 250 GSM Art Card White Paper)	5700 Nos.
4	Civil Court Calendar 2016 ((Size - A4), (As per sample) (Printing as per manuscript on 65 GSM Ledger Paper)	9000 Nos.

6. किसी भी ले-आउट और डिजाइन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। कलेण्डर के मुद्रण से पूर्व ले-आउट और डिजाइन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
7. कलेण्डर का वाँछितानुसार मुद्रण कार्य कर सात दिवस के भीतर कार्यालय में सप्लाई करनी आवश्यक होगी।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

क्रमशः पृष्ठ संख्या -2

2-f
18/11/15

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

पृष्ठ संख्या - 2

8. किसी भी माल/वस्तुओं की सप्लाई आदेश प्राप्ति के अगले कार्य दिवस तक प्राप्त सप्लाई आदेश की कुल कीमत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में कार्यालय में जमा करवानी होगी। जमा अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जा सकेगा।
9. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। सन्तोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा। सप्लाई आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी। माल आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा ऐसा सामान बाजार से मुद्रण सहित क्रय कर अंतर की राशि/अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल किया जावेगा।
10. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। कार्यालय न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।
11. निदेशक, इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अर्न्तगत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओं की निविदा दे सकती है। उनको धरोहर राशि जमा कराने की छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा अमानत राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जावेगा।
12. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी।
13. सामग्री सप्लाई आदेश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होंगी। विलम्ब से सप्लाई पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी।
14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा। स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा।
15. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर